

Layout Plan of KINGS RESIDENCY-A

UNDER KHASRA NO.- 728/378

VILLAGE- SHREE RAM GOPALPURA URF BHOJYAWAS, TEH. SANGANER, JAIPUR

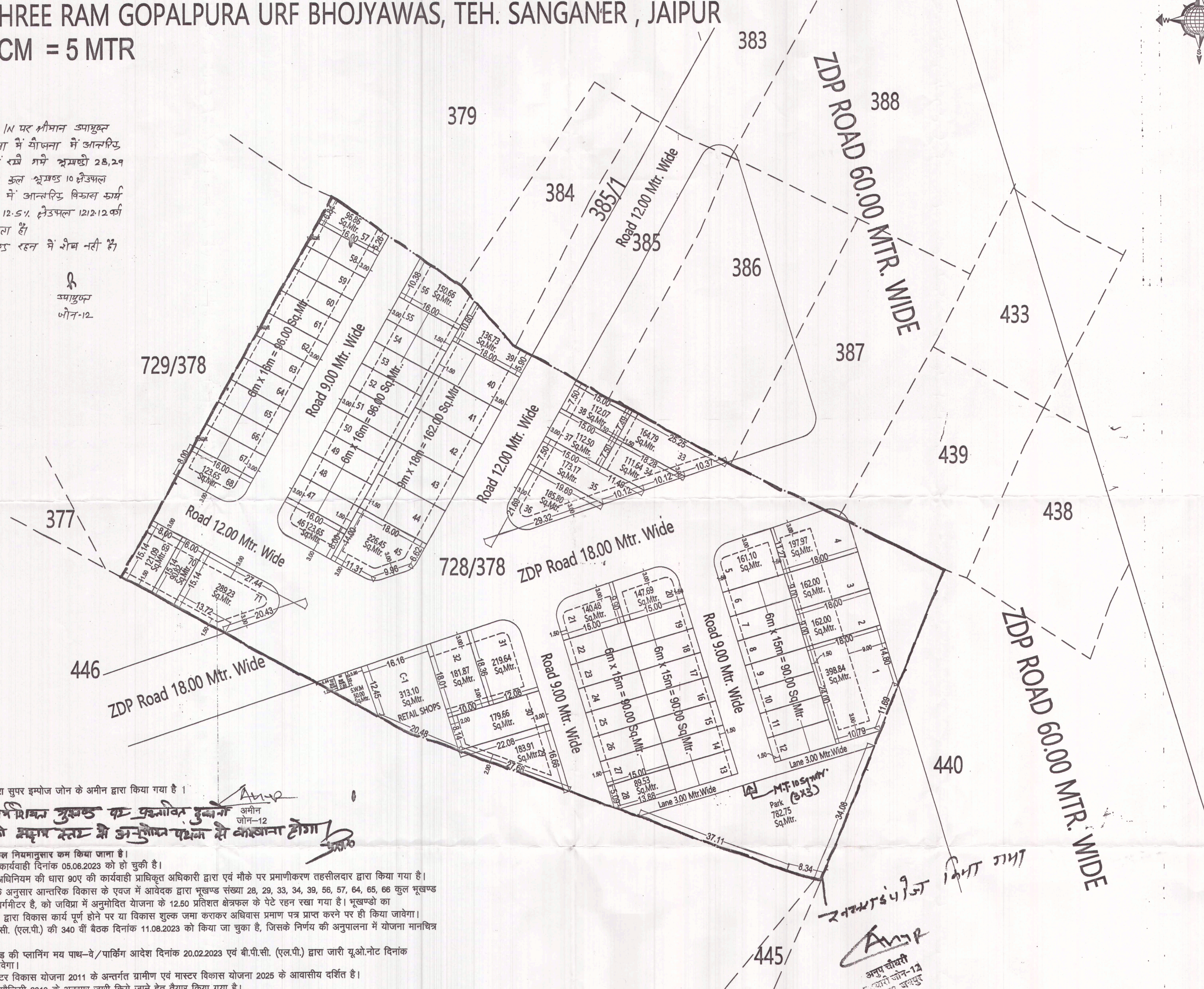
SCALE :- 1CM = 5 MTR

नोट :-

मूल पत्रावली के पैरा सरखी 89/N पर शीमान डायग्राम मध्ये की स्थिति की मालमा में योजना में आंतरिक विकास कार्य के पैरे रहन में रखे गये श्रमण 28,29,33,34,39,56,57,64,65,66 कुल श्रमण 10 हैउपल 1212.12 की मोटर में योजना में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप सम्पूर्ण 12.5% हैउपल 1212.12 की मोटर की रहन शुद्ध किया जाला है। अब योजना में कोई भी श्रमण रहन में शेष नहीं है।

सहमंड नगर विभाजन
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12



योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

नोट:- इनफार्मेशन नार्मलाइज्ड ड्रमिंग पर फुलफॉर्म ड्रमिंग के मानचित्रों में मध्य स्तर में अनुमोदन पत्रों में वास्तविक होगा

- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90% की कार्यवाही दिनांक 05.06.2023 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में राशूराअधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आंतरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 28, 29, 33, 34, 39, 56, 57, 64, 65, 66 कुल भूखण्ड 10 कुल क्षेत्रफल 1212.12 वर्गमीटर है, को जविग्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पैरे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 340 वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- इनफार्मल कॉन्सिशनल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के आवासीय दर्शित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सेंटबैक्स जविग्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

उप नगर नियोजक
जोन-12

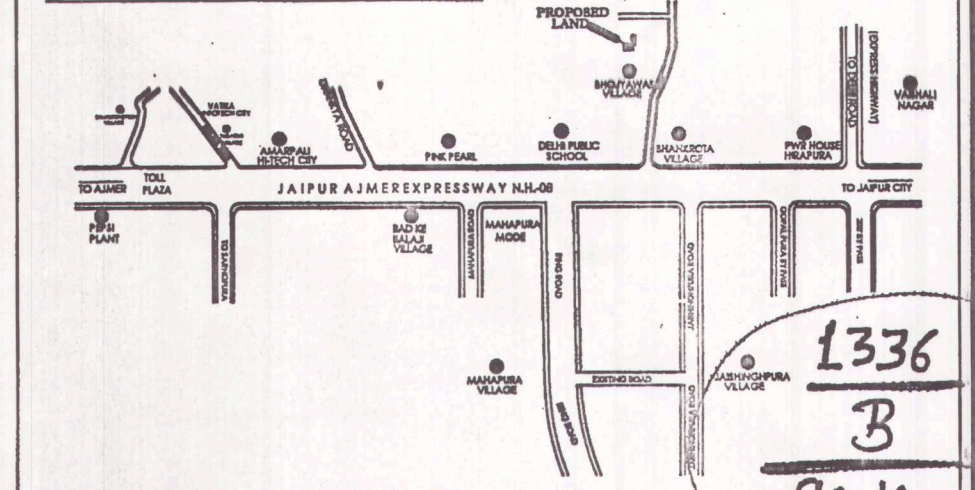
तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

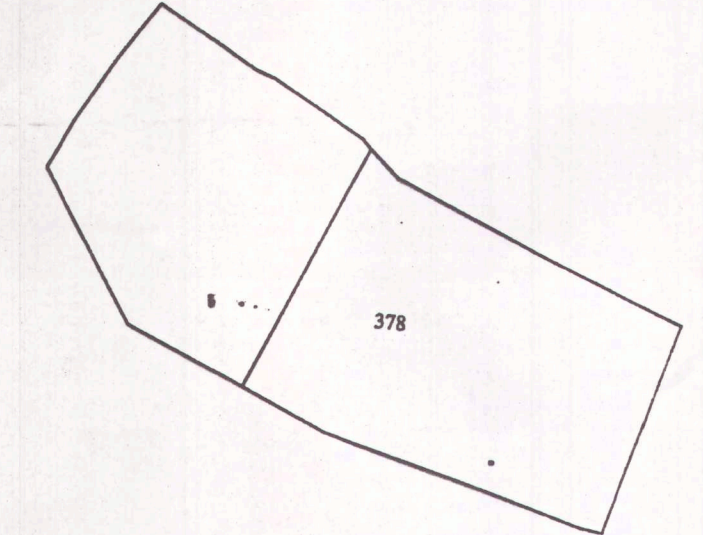
वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

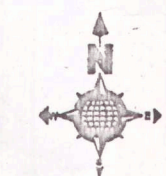
योजना क्षेत्र का प्लूट मार्ग मानचित्र:-



योजना क्षेत्र का खसरा मानचित्र:-



SCALE :- 1CM = 5 MTR



योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग

प्रस्तावित आवासीय योजना के भूखण्डों की गणना :-

आवासीय भूखण्ड:- 00

व्यवसायिक भूखण्ड:- 00

खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड:- 00

योजना क्षेत्र का भू-उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल(व.मी.में)	प्रतिशत
1.	आवासीय	8877.50	56.71%
2.	खुदरा व्यवसायिक	313.10	02.00%
(A)	कुल क्षेत्रफल (1 TO 2)	9190.60	58.71%
3.	हरित उद्यान	782.75	05.00%
4.	ठोस कचरा प्रबंधन	50.00	00.32%
5.	मोबाइल टावर	20.00	00.13%
6.	जन सुविधा क्षेत्र	10.00	00.06%
7.	सड़क	2986.30	19.09%
8.	90 मी. जेडीए सेक्टर रोड	2251.95	14.38%
9.	60 मी. जेडीए सेक्टर रोड	363.40	02.32%
(B)	कुल क्षेत्रफल (3 TO 9)	6464.40	41.29%
	योजना क्षेत्रफल (A+B)	15655.00	100.00%
	LAND LOSE AREA	345.00	
	प्रस्तावित योजना की आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल	16000.00	व.मी.

NAME OF SCHEME :-

ZONE = 00'

ZDP NO= 00

NAME OF DEVELOPER :-

SUBMITTED TO :- JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

DESIGN BY:-
Lakshya Associates
LAND SURVEY, PLANNING, DEMARCATION
TOWNSHIP DEVELOPMENT
ENGINEERING AND ARCHITECT CONSULTANT
E-728, Nakul Path, Opp. Jyoti Nagar Police Station
Lal Kothi Scheme, Jaipur-302015 (Raj) India
Tel: 0141-4051472, 8094888818, 823075989
Email: lakshya.dimensionarch@gmail.com
lakshyaassociates@gmail.com

RELEASED FOR: ☐ INFORMATION ☐ APPROVAL ☐ CONSTRUCTION